

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

राज अदालत, उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
केचन वाई, बनाम मोहन कुमार
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>केचन वाई</u></p> <p>पिता श्री <u>मोगू बेजारा</u></p> <p>निवासी- <u>पिपली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पिपली</u> <u>प.स. कोइर</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... <u>539 रकबा 0.46</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.46</u> है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पिपली (कोइर)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>539 रकबा 0.46</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0.46</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>10.00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(श्री नू देवी) सहायक जज, एल.आर.एक्ट. एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>